मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर

//विज्ञापन//

विज्ञापन कमांक ..../स्था./2020   दिनांक :– ..../06/2020

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर पर **(i)** रसोइया, **(ii)** धोबी, **(iii)** माली, **(iv)** स्वीपर **(v)** भृत्य (चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों) एवं **(vi)** वाहन चालक/भृत्य (कलेक्टर रेट – संविदा) की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

नोटः– (1) अभ्यर्थी पदवर्ग **(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi)** में से केवल एक पदवर्ग हेतु ही ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।

(2) अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापित पदों में चयनित अभ्यर्थियों का वेतन कलेक्टर रेट के आधार पर लगभग रु. 8250/– प्रतिमाह होगा।

आवेदन करने की अंतिम तिथि :	–	**10.07.2020 (शुक्रवार)**
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि	–	**13.07.2020 (सोमवार)**
अनुवीक्षण(स्कीनिंग) का दिनांक	–	बाद में अधिसूचित किया जावेगा।
मुख्य परीक्षण/साक्षात्कार का दिनांक	–	बाद में अधिसूचित किया जावेगा।

उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र, विज्ञापन दिनांक से **दिनांक 10/07/2020 (शुक्रवार)** को रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
3. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 13.07.2020 (सोमवार) रात्रि 11.59 बजे तक संबंधित त्रुटि को एम0पी0 ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क (रु. 50/–) जमा कर सुधार सकेंगे। परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

परीक्षा–शुल्क और पोर्टल शुल्क–

अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए रु. 100+जी.एस.टी. एमपीऑनलाईन को देय पोर्टल शुल्क एवं रु.100/– परीक्षा शुल्क अर्थात् रु. 100+100+जी.एस.टी. = रु. 200 + जी.एस.टी. (दो सौ + जी.एस.टी.) तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए एमपीऑनलाईन को देय केवल पोर्टल शुल्क रु. 100+जी.एस.टी. (सौ + जी.एस. टी.) देय होगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :–

आवेदन पत्र वेबसाईट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये www.mponline.gov.in पर Authorized Kiosk List Link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः–

आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से नागरिक सेवाऐं होम पेज ऑप्शन में क्लिक करें फिर ड्रापडाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् MP High Court के Logo पर Click करें तत्पश्चात् Application and Services ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए दी हुई link पर click करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले Advertisement को क्लिक कर, दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरान्त ही Online Apply करने के लिए Form को क्लिक करें। इसके उपरान्त आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियाँ सही–सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना **नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित** अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के Link (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरान्त उक्त फारमेट को स्केन कर .jpg फारमेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें। इसके उपरान्त जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो एवं हस्ताक्षर सेलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरान्त Submit बटन दबायें। इससे आवेदक को एक **आवेदन फार्म नम्बर** प्राप्त होगा। इसके उपरान्त आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to Payment बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे ।

1– क्रेडिट/डेबिट कार्ड।

2– इंटरनेट बैंकिग।

4– **क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :–** आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा

अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरान्त कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन सम्बन्धी जानकारी भी अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।**

5– **इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** :– आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेटबैंकिग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त Proceed to Payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लाग–इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। **इसका प्रिन्ट अवश्य लें।**

6– **एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः**– आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर सिटिजन सर्विसेज में जाकर **एप्लीकेशन** में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियॉं आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियॉं फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारियॉं सही–सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।**

7– **यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।**

8– इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम0 पी0 आनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन कमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारियॉं भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से सम्बन्धित समस्त जानकारी अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।**

9– ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं कियें जायेंगे जिन्हे ऑनलाईन नहीं भरा गया हो अथवा ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा गया हो। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट :– यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर तत्काल सम्पर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन के होमपेज पर "संपर्क करें" में क्लिक करें तथा "शिकायत" विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, 3rd फ्लोर, स्टेट आईटी पार्क, अब्बास नगर, नियर आरजीपीवी, गांधी नगर, भोपाल–462033, **फोन : 0755–6720222, फैक्स : 0755–4019000.**

पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें :–

पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	वरीयता
आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी **(रसोइया, धोबी, माली, स्वीपर, भृत्य)**	**कलेक्टर रेट (लगभग रु. 8250/–)**	आठवीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण।	कार्य का अनुभव/ तकनीकी योग्यता/ आदि।
वाहन चालक/भृत्य (कलेक्टर रेट – संविदा)	**कलेक्टर रेट (लगभग रु. 8250/–)**	(1) हाईस्कूल परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण। (2) वैध लाईट मोटर व्हीकल ड्रायविंग लायसेंस (3) सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव	मैकेनिक की तकनीकी योग्यता

टीप :– आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम् शैक्षणिक/तकनीकी अर्हतायें आवेदन की **अंतिम तिथि 10.07.2020** तक उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं।

पदवर्ग (i) रसोइया, (ii) धोबी, (iii) माली, (iv) स्वीपर (v) भृत्य (चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों) प्रवर्ग के पदों का आरक्षण रोस्टर :–

स.क्रं.	अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0जाति	अनु0जनजाति	योग
1	12	02	03	01	18

नोट :– **वाहन चालक/भृत्य (कलेक्टर रेट – संविदा)** के **एक पद** पर नियुक्ति संविदा हेतु होने के कारण किसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत नहीं है एवं सिर्फ योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

(2) आयु की गणना :–

आवेदक की आयु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनाँक **10.07.2020** को न्यूनतम 18 वर्ष की पूर्ण होना आवश्यक है। उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क. सी–3–5/2001/3/1, भोपाल दि. 17 अगस्त, 2004 के अनुसार, निम्नानुसार होगी :–

1	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	35 वर्ष
2	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अ0पि0वर्ग0)	40 वर्ष

3	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	35+10 = 45 वर्ष
4	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु0जाति / अनु0 जनजाति / अ0पि0वर्ग0)	35+5+10 = 50 वर्ष
5	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	35+10+5 = 50 वर्ष
6	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग)(अनु0जाति / अनु0जनजाति / अ0पि0वर्ग0)	35+5+10+5 = 55 वर्ष

नोटः– भूतपूर्व सैनिकों को भी मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आयु–सीमा में छूट दी जायेगी।

(3) <u>अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) (उपरोक्त सभी प्रवर्गों के पदों हेतु) :–</u> **(20 अंक)**

अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) हेतु समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र एम.पी.ऑनलाईन द्वारा जारी किया जावेगा। **अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) हेतु अभ्यर्थियों को समिति के समक्ष** उच्च न्यायालय म0प्र0 खण्डपीठ ग्वालियर में समस्त अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ मूल पहचान पत्र सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। **अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)** के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। **अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)** में प्राप्त अंको को अंतिम चयन सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जावेगा।

(4) <u>**मुख्य साक्षात्कार**</u> **(20 अंक)**– अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) के पश्चात् मेरिट अनुसार सफल पाए गये अभ्यर्थियों की सूची **1:3** के अनुपात में तैयार कर म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी और उच्च न्यायालय म0प्र0 की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर भी डाली जावेगी। साक्षात्कार हेतु सफल पाए गये अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी केटेगरी सहित <u>**लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन–पत्र भेजा जा रहा है अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।**</u> यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा निर्धारित की गई तिथि में बुलाये जायेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। **आवेदन पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0 प्र0, खण्डपीठ ग्वालियर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की आवक शाखा (Receipt Section)** में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट **के माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा।** उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा। मुख्य साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। मुख्य साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट के अनुसार केटेगरी वाईस अभ्यर्थियों की चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।

(5) <u>**चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :–**</u>

(1) अभ्यर्थी केवल एक पदवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त हो जावेगी और उसके आवेदन / आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6' के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार **अपात्र** होगा जो निम्न में से कोई हो –

(क) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(ग) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(घ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)

(3) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती हैं अर्थात् पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियां इस विज्ञापन के अंतर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जायेंगी, परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

(4) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है।

(5) अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही मुख्य साक्षात्कार दिनांक को भी होगी और उन्हें मूल पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा ।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी है अथवा कोई जानकारी नहीं दी है अथवा किसी जानकारी को छिपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रकम पर उसका प्रवेश, चयन और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

(7) ऑनलाईन आवेदन पत्रों में की गई त्रुटियों के सुधार हेतु एक निश्चित समय प्रदान किया जावेगा तथा इसी निश्चित समय में समस्त अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार करवाना आवश्यक होगा निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा बल्कि अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।

(8) (क) आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–7–13/2004/आ.–प्र./एक भोपाल, दिनांक 11.07.2005 में दिये गये निर्देशों के अध्याधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।

(ख) आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के आवेदकों को अनुवीक्षण/साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(9) अनुवीक्षण/साक्षात्कार दिनांक की सूचनाएं म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के सूचना पटल एवं उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी। प्रवेश पत्र एम0पी0ऑनलाईन की वेबसाईट में प्रकाशित किये जावेंगें जिसका अभ्यर्थी को स्वयं प्रिन्ट

निकालना होगा जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कराना होगी।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें।

(12) पुनःमूल्यांकन/पुनः साक्षात्कार हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

प्राप्तांक/स्कोर कार्ड: –

स्क्रीनिंग साक्षात्कार एवं मुख्य साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/स्कोर कार्ड एम०पी०ऑनलाइन की वेबसाइट में अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाशित कर दिये जावेंगे। अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक/स्कोर कार्ड, अपनी आई.डी. (आवेदन कमांक), पासवर्ड (जन्मतिथि) एवं ओ.टी.पी. (रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भेजा जावेगा) से लॉग–इन कर देख सकते हैं तथा प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी :–

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी म०प्र० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर से विहित प्रारूप में निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकेगी।

विनिष्टीकरण :–

आवेदन–पत्रो (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

(नवीन कुमार सक्सेना)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार

06 JUN 2020

***